संख्या-16/2015/2104/94-1-2015-312(132)/2012

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 01 अक्टूबर, 2015

विषय- उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में स्टाम्प पेपर की वापसी में अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विष्यक उत्तर प्रदेश शासन के लोक सेवा प्रबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-1/2015/460/91-09/2014 दिनांक 13-08-2015 के क्रम में शासनादेश सख्या-15/2015/1849/91-1-2015-312(132)/2015 दिनांक 25-08-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में स्टाम्प पेपर की वापसी के अनुरोध पर धन का भुगतान करने की समय -सीमा आवेदन की तिथि से 30 दिवस में तथा प्रथम एवं द्वितीय अपील की समय-सीमा क्रमशः 30-30 दिन निर्धारित की गयी है।

2- उक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में स्टाम्प पत्रों की वापसी के अनुरोध पर धन के भुगतान हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है:-

(1) संबंधित जनपद के जिलाधिकारी — प्रथम अपीलीय अधिकारी
(2) संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त — द्वितीय अपीलीय अधिकारी

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( अनिल कुमार )
प्रमुख सचिव।

संख्या-16/2015/2104(1)/94-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) , उत्तर प्रदेश।
2- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
4- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

( सुधीन्द्र कुमार )
उपसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in